न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–97/2008 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र चिरंजी,
2. मिश्री लाल पुत्र रामजीलाल,
3. मक्खन पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा पाटन तहसील कठूमर जिला अलवर रज0 ।

..... प्रति0/अपीलांटान

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र बद्रीप्रसाद पि0मु0 प्रभूदयाल,
2. रामचरन पुत्र बद्रीप्रसाद – मृतक
3. मोती पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा पाटन तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... वादीगण/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भरत जैन अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–17.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी मनोहरलाल पुत्र बद्रीप्रसाद पि0मु0 प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा पाटन तहसील कठूमर ने वाद पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 63 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम रामपुरा पाटन तहसील कठूमर में स्थित है । विवादित आराजी वादीगण के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी पर वादीगण का कब्जा अरसे दराज से चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी वादीगण ही काबिज है तथा राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा राजस्व लगान भी वादीगण

द्वारा दिया जा रहा है जिस आराजी में वादी नं0 1 का 2/3 भाग तथा शेष 1/3 भाग वादी नं0 2 व 3 का है तथा मुताबिक हिस्सा विवादित आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर वादीगण ने आराजी विवादित का घरेलू बंटवारा भी कर रखा है जिस अनुसार तर्फ पश्चिम की ओर वाले भाग पर वादी नं0 1 काबिज है तथा तर्फ पूर्व की ओर वाले भाग पर वादी नं0 2 व 3 काबिज चले आ रहे हैं । वादी नं0 1 ने इस बैशाख में अपने हिस्से की आराजी में सरसों की फसल बोई और काटी है तथा वादी नं0 2 व 3 ने अपने हिस्से में गैहूं की फसल बोई व काटी है । विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार व संबंध नहीं है मगर प्रतिवादीगण लड़ाकू किस्म के व्यक्ति हैं जो आये दिन वादीगण को परेशान व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं । दि0 20.05.1998 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को ग्राम में ऐलानिया धमकी दी है कि वे वादीगण को विवादित आराजी में काश्तकारी कार्य नहीं करने देंगे तथा वादीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करेगें व वादीगण के तरफ पूर्व में वाले 1/2 भाग पर जबरन कब्जा करेगे व शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देंगे जबकि वादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करंते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 08.08.2008 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 08.08.2008 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रांवली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि रेस्पो0/वादी ने 188 आर.टी.एक्ट का दावा तहत न्यायालय में पेश किया और कहा कि ख0 नं0 63 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वादी की खातेदारी में कब्जा है । प्रतिवादी इसमें व्यवधान करते हैं । इसलिए उन्हें पाबन्द किया जावें । अपीलांट/प्रतिवादी का वाद में कथन था कि 1/2 भाग अपीलांट का और रेस्पो0 मनोहर, रामचरण का 1/4 भाग है । बन्दोबस्त ने गलत रूप से वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी बल्कि शुरू से ही हमारा 1/2 भाग पर कब्जा है और शेष 1/2 भाग पर वादीगण का कब्जा है । इसलिए पी.आई. जारी नहीं की जा सकती है । तीसरी तनकी में आया बन्दोबस्त में वादी के नाम 1/2 गलत खातेदारी दर्ज की है । इसके लिए मैंने मिलान क्षेत्रफल पेश किया है जिसमें साबिक ख0 नं0 49 यह मकबूजा मालकान है । सरकारी जमीन है इस पर हम 1/2–1/2 भाग पर काबिज थे । बन्दोबस्त ने वादी/रेस्पो0 के नाम खातेदारी कर दी । पी.आई. उसी पक्षकार को मिलेगी जिसका कब्जा हो । अपीलांट चाहे अतिक्रमी हो पर कब्जा था तो अपीलांट को बेदखली के दावे में पी.आई. कैसे दी जा सकती है । यह वादी/रेस्पो0 के पक्ष में नहीं है । साबिक दस्तावेजों को डिस्कस करना चाहिए कि बन्दोबस्त ने गलत दर्ज कर दिया । इसलिए तहत न्यायालय

का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है ।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 3 का बहस में कथन है कि विवादित आराजी वादीगण/रेस्पो0 के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण/रेस्पो0 का कब्जा अरसे दराज से चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी वादीगण/रेस्पो0 काबिज हैं तथा राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी वादीगण/रेस्पो0 के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा राजस्व लगान भी रेस्पो0 के द्वारा ही अदा किया जा रहा है विवादित आराजी में वादीगण/रेस्पो0 का 2/3 भाग तथा शेष 1/3 भाग वादी नं0 2 व 3 का है तथा मुताबिक हिस्सा विवादित आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं । तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए युक्तियुक्त निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2008 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध आर.टी.एक्ट 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 08.08.2008 को पारित किया है । तहत न्यायालय द्वारा हाल रेकार्ड के आधार पर वादीगण के पक्ष में दावा डिक्री करके प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आधार पर पाबन्द किया है कि वादीगण वर्तमान में विवादित आराजी के सम्वत् 2028 के रेकार्ड से आदिनांक तक खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड हैं । प्रतिवादी/अपीलांट का अपील में यह कथन कि विवादित आराजी पहले मकबूजा मालकान और बन्दोबस्त ने विवादित आराजी को वादी/रेस्पो0 के नाम गलत रूप से खातेदारी दर्ज कर दी तथा पूर्व से ही प्रतिवादी/अपीलांट का भी विवादित आराजी पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त था । इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेकार्ड के अनुसार विवेचन किया है जिसके अनुसार अपीलांट/प्रतिवादी विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं तथा विवादित आराजी के सरकारी होने या सरकारी जमीन पर कब्जे के दावे के आधार पर रीलीफ प्राप्त नहीं कर सकते हैं । वर्तमान में वादी/रेस्पो0 ही रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड हैं । यदि प्रतिवादी/अपीलांट का यह कहना कि वादी ने बन्दोबस्त से मिलकर सरकारी जमीन पर खातेदारी चाही है तो इस संबंध में तहत न्यायालय ने पूर्ण विवेचन किया है कि अपीलांट/प्रतिवादी ने ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया जिससे उक्त आराजी पर प्रतिवादी/अपीलांट की खातेदारी मानी जावें । जहां तक वादी द्वारा बन्दोबस्त के माध्यम से खातेदारी प्राप्त करने का प्रश्न है तो प्रतिवादी ने अपने जवाब में या अलग से ऐसा कोई वाद पेश नहीं किया जिसके आधार पर वादी की खातेदारी समाप्त हो ।

इसलिए तहत न्यायालय द्वारा विवेचन पूर्ण निर्णय के आधार पर अपील काबिल खारिजी के हैं ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2008 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर